



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 502/16

निर्णय दिनांक:-26.04.2018

1. भैरूसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी गोगागेट के अन्दर, बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोंडेन्ट्

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 23-12-1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थिति:-

1. श्री उमाशंकर व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 23-12-1998 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत में वर्ष 1984-1985 में बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे।

तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया गया परन्तु अपीलांट हाजिर नहीं आया। इसलिए आवंटन निरस्त किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23-12-1998 के विरुद्ध अपील दिनांक 11-08-16 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 23-12-1998 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 11-08-1998 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांत ने अदालत मातहत के समक्ष वर्ष 1984-1985 में बतौर भूमिहीन आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांत की पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर से इस आधार पर रिमाण्ड होकर प्राप्त होने की कि अपीलांत को सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उक्त आदेश की पालना में अपीलांत अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19-11-1998 को अपीलांत को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया कि वे उपस्थित होकर वांछित सबूत यथा सद्भावी काश्तकार का प्रमाध पत्र प्रस्तुत करें।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को स्वयं सबूतों सहित उपस्थिति होने का नोटिस जारी करने के उपरान्त भी अपीलांत ना तो आवांटन आदेश प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं आया और ना ही आवांटन अधिकारी के समक्ष सबूत आदि पेश किये।

जबकि अपीलांत को न्यायालय हाजा द्वारा भी रिमाण्ड आदेश में यह निर्देशित किया गया था कि वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर वांछित सबूत प्रस्तुत करें। अपीलांत रिमाण्ड आदेशों की पालना ना तो अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आया ना ही वांछित सबूत ही अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये। इससे स्पष्ट है कि अपीलांत आवांटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत द्वारा आवेदक के उपस्थित नहीं होने व सबूतों के अभाव में अपीलांत का आवांटन आदेश खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांत् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 23-12-1998 बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

